न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 62/2017 (225 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2017/00201

उनवान

1. रामवीर पुत्र अर्जुन सिंह
2. दुर्जनसिंह पुत्र सोनपाल

} जाति जाट भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. समुन्द्री पत्नी स्व० किशनसिंह
2. रनवीरसिंह पुत्र किशनसिंह
3. धारासिंह पुत्र किशनसिंह
4. जयसिंह पुत्र किशनसिंह
5. तेजा पुत्र किशनसिंह
6. पवन पुत्र किशनसिंह
7. सुरादेवी पुत्री किशनसिंह
8. संतादेवी पुत्री किशन

} जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....उत्तरवादीगण असल/मूल

9. फतेसिंह पुत्र नवलसिंह
10. राधेश्याम पुत्र नवलसिंह
11. राधाबल्लभ पुत्र नवलसिंह

} जाति जाट निवासी भंरगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

12. विजेन्द्र सिंह पुत्र सोनपाल (मृतक)

12/1 रोहताश
12/2 ओमवीर
12/3 हरिओम

} पिस0 विजेन्द्र सिंह } जाति जाट निवासी भंरगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

12/4 ललिता पुत्री विजेन्द्र पत्नी राजेन्द्र हन्तरा तइसील नदबई जिला भरतपुर।
12/5 सरोज पुत्री विजेन्द्र सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

13. रनवीरसिंह पुत्र छिद्दा सिंह जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।
14. वृजबिहारी पुत्र छिद्दासिंह जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।
15. वासुदेव पुत्र छिद्दासिंह जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।
16. बहादुरसिंह पुत्र सोनपाल जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स तरतीवी

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स 17/2010 बउनवानी नवलसिंह आदि बनाम समुन्द्री आदि में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 12/1 से 12/5 श्री शमशेरसिंह उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक : 27.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स 17/2010 बउनवानी नवलसिंह आदि बनाम समुन्द्री आदि में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया विवादित आराजी खसरा नम्बर 686/0.21 वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील भरतपुर के सायलान समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी से गैरसायलान व उनके पिता स्व. किशनसिंह का कोई संबंध नहीं रहा लेकिन राजस्व अभिलेख में मृतक किशनसिंह को विवादित आराजी पर खातेदार अंकित कर रखा है। उक्त गलत इन्द्राज खातेदारी के कारण गैरसायलान विवादित आराजी पर सायलान की खातेदारी मानने से इंकार कर रहे हैं। इसलिए सायलान द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि मूल वादपत्र के अन्तिम निस्तारण होने तक गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गैरसायलान विवादित आराजी वर्णित प्रार्थना–पत्र मद सं. 2 पर सायलान के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, विवादित आराजी पर अपने नाम कोई इन्द्राज खातेदारी न करावे तथा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हस्तान्तरण न करें। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.06.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ऊंदरा पर पेश की गई एवं उसी दिन निर्णय पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 12/1 से 12/5 की ओर से अधिवक्ता श्री शमशेर सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 680/0.21 स्थित ग्राम भरंगरपुर तहसील व जिला भतरपुर के अपीलार्थी एवं उत्तरवादी तरतीवी सं. 9 लगायत 16 खातेदार काश्तकार काबिज है। उत्तरवादी असल का इस आराजी के किसी भाग से कोई सम्बन्ध नहीं है इन्द्राज खातेदार स्व. किशन व अब उत्तरवादी असल के नाम बिल्कुल गलत रहे हैं। काबिल कलमजन है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे अवैध व शून्य इन्द्राजों के आधार पर खण्डनाधीन निर्णय देने में भारी त्रुटि की है। विवादित आराजी का गत खसरा नम्बर 650मिन है जिस पर अपीलार्थी व उत्तरवादी तरतीवी के पूर्वज स्व. सोनपाल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन से बहैसियत कृषक काबिज रहे थे इसलिए उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 15 के अनुसार इस आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं जिन्हें उनके मरणोपरान्त अपीलार्थी व उत्तरवादी तरतीवी ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर व प्रस्तुत अभिलेखों पर विचार नहीं कर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को अस्थायी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निषेधाज्ञा के प्रकरण को तय करने के लिए इन्द्राज को ही नही उसके उदभव को भी देखा जाना चाहिए क्योंकि इन्द्राज खातेदारी कोई स्वत्व का आधार नही है। इन्द्राज गलत भी हो सकते है और उन्हें कभी भी आपत्ति करने पर निरस्त व परिवर्तित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आदेश पारित करने से पूर्व उत्तरवादी/आवेदकगण नवलसिंह, छिद्दासिंह व अर्जुनसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार न्यायालय तहत ने मृत व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है जो कतई शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व उत्तरवादी तरतीवी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा विना पूर्व सूचना दिये पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत कर मनमाने तरीके से आदेश तहत पारित किया है जो कतई गलत है निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 05.06.2017 को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थना–पत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर उत्तरवादी मूल के विरुद्ध ताफैसला दावा टी.आई. जारी किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर गैरसायलान/रेस्पोडेन्ट के पिता काबिज व काश्तकार रहे थे तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा व काश्त था इसलिए जो खातेदारी इन्द्राज गैरसायलान के पिता के नाम पर किया गया वह मुताबिक मौका सही था। विवादित आराजी सायलान/अपीलान्ट की पैतृक आराजी ना होकर गैरसायलान के पिता की तथा उनकी पैतृक आराजी थी। सायलान को विवादित आराजी उत्तराधिकार से प्राप्त नहीं हुई थी। विवादित आरजी पर सम्वत 2012 में व उससे पूर्व बहैसियत खातेदार व काश्तकार गैरसायलान/रेस्पोडेन्ट के पिता श्री किशनसिंह काबिज रहे थे। सायलान/अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार कभी नहीं रहा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रुप निर्णय पारित किया हैं जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.06.2017 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 12.07.2017 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सायलान/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने द्वारा पेश दावे मे साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.04.2010 को वकील सायलान/प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी एवं अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से की जाने की आदेश प्रदत्त किए। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.04.2010 को यह अंकित किया कि अभिभाषक प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण अनु०। पुनः तलवी करावें। इसके बाद दिनांक 25.10.2012 की आदेशिका में यह अंकित किया गया कि वकील उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से जवाब पेश। पत्रावली मूल दावा के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक 07.12.2012 को पेश हो। जिस पर किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इसके बाद सीधे ही दिनांक 05.06.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ऊंदरा पर रखी जाकर उक्त प्रकरण में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज कर दिया गया। जबकि अभी तक गैरसायल सं. 7 व 8 की तलबी ही शेष थी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 25.10.2012 के बाद सीधे ही आदेशिका दिनांक 05.06.2017 को लगभग 4 साल 7 माह बाद सीधे ही पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ऊंदरा पर रखी जाकर उक्त प्रकरण में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज कर दिया गया। जबकि पत्रावली में गैरसायल सं. 7 व 8 की तलबी भी शेष थी। जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ऊंदरा में पत्रावली रखे जाने हेतु उभयपक्षकारान को कोई नोटिस जारी नहीं किए बल्कि उनकी जानकारी बिना ही पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में नियत कर निस्तारित कर दी। दिनांक 05.06.2017 का जैर अपील आदेश पीठासीन अधिकारी ने उभयपक्ष को सुने बिना पारित किया है। जिसमें यह माना है कि ***"पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के लिये पैत्रिक सम्पत्ति प्रमाणित नहीं है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। जिन्हें टी.आई. से पाबंद करने पर प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 05.04.2010 निरस्त की जाती है।"*** इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारों को सुने बिना अपनी मनमर्जी से पक्षकारों को बिना सूचना दिये लोक अदालत कैम्प कोर्ट ऊंदरा में पत्रावली रखी जाकर उसका निस्तारण केवल लोक अदालत में अपने द्वारा निस्तारित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए ही किया गया है। पत्रावली पर किसी भी पक्षकार को सुना नहीं गया है। पत्रावली पर सभी गैरसायलान की तामील भी नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना भी विधि संगत नहीं है कि दावा में अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है क्योंकि अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में भी अलग से तामील करवायी जानी आवश्यक होती है। हस्तगत प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निस्तारण किया गया है, जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल आपसी सहमति के आधार पर ही पत्रावलियों का निस्तारण किया जा सकता है लेकिन उक्त प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उभयपक्षकारान की सहमति या राजीनामा पेश किया गया है। यही मंशा धारा 89 सीपीसी व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की है। राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का भी उद्देश्य केवल यही था कि आपसी सहमति एवं राजीनामें के आधार पर चल रही पत्रावलियों का निस्तारण किया जावे।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016-17 (Supp.) RRT 566 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 212–अस्थायी निषेधाज्ञा–प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया–लोक अदालत शिविर में प्रार्थना–पत्र एक पक्षीय निर्णीत

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किया–पारित आदेश को विधिक रुप से न्यायसम्मत नहीं कहा जा सकता–निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा पुनः निर्णीत करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में बिना उभयपक्ष की सहमति होते हुए पत्रावली का निस्तारण कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायिक प्रकरण 2016-17 (Supp.) RRT 566 के क्रम में हम उचित समझते हैं कि शेष रहें गैरसायलान की विधिवत रुप से तामील करवाई जाकर, उनका जबाब प्राप्त कर एवं उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 अपास्त किया जाता है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2010 यथावत रहेगा एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए आवश्यक रुप से आगामी 2 माह में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का अन्तिम रुप से निस्तारण करें।

10. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर